शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक/शि.शि./डी पी एस ई/2021/1520 भोपाल, दिनांक 01/9/2021

प्रति,

प्राचार्य,
पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः—डी पी एस ई (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में ऑनलाईन प्रवेश संबंधी प्रक्रिया।

उक्त विषयानुसार लेख है कि पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में संचालित डी पी एस ई (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) द्विवर्षीय पाठ्यकम में सत्र 2021—22 के एम.पी.ऑनलाईन द्वारा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जावेगी। प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार नियमों के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रवेश प्रदान किए जाएगें। अतः सुनिश्चित करें कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल https://rsk.mponline.gov.in/ पर पंजीयन करायें।

डी पी एस ई (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) में प्रवेश नियम सत्र 2021.23
(केवल महिलाओं के लिये)

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत संचालित शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर द्वारा संचालित डी पी एस ई (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) द्विवर्षीय पाठ्यकम में 40 स्थान उपलब्ध है।

1. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र है।
2. **आयु सीमा**— प्रवेश हेतु दिनांक 01/07/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना आवश्यक है। म.प्र.शासन के नियमानुसार अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी। इस प्रकार इन संवर्गो के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
3. **शैक्षणिक अर्हता** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्ड अनुसार प्रवेश हेतु अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष योग्यताधारी हो। अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंको की छूट रहेगी।
4. **चयन प्रक्रिया**— प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन करांना आवश्यक होगा। कक्षा 12वी के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

निरंतर..........2/

मैरिट के क्रम में ही अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा। प्रवेश संबंधी समस्त सूचनाएं अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

5. **आरक्षण**–म.प्र. शासन के नियमानुसार अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की महिलायें, विधवा/परित्यक्ता आवेदिकाओं के लिये स्थान आरक्षित है। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र संलग्न होने पर ही विचार किया जायेगा। सीटो का आरक्षण निम्नानुसार रहेगा :

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति	16
02	अनुसूचित जनजाति	20
03	अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)	14
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10

6. यदि उक्त श्रेणी की आवेदिकायें उपलब्ध नही होगी तो सामान्य श्रेणी के आवेदिकाओं से रिक्त स्थान की पूर्ति की जायेगी।
7. जबलपुर शहर के बाहर की छात्राओं के लिये आवास की व्यवस्था है। आवास का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
8. एम.पी.ऑनलाईन में पंजीयन के साथ शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, मूल निवासी (म.प्र.) जाति प्रमाण पत्र के साथ अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्रवेश के समय सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों से अपलोड की गई प्रतियों का मिलान किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर प्रवेश स्वयमेव निरस्त कर दिया जाएगा।
9. **शुल्कः**–प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी को संस्थान के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित परीक्षा शुल्क जमा पृथक–पृथक से जमा करने होंगे। इस संबंध में संस्थान द्वारा प्रवेशार्थियों अवगत कराया जाएगा।

(ओ.एल.मण्डलोई)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

क्रमांक/शि.शि./डी पी एस ई/2021/ 1521
भोपाल, दिनांक 01/9/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य परिचालन अधिकारी एम.पी.ऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल